कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

दूरभाष न0 05942– 235572 फैक्स न0 05942–233549 ई–मेल–eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :– 851/27 मएल दिनॉक :– 8/4 /2021

सेवा में,

Mr Vaibhav Shah
Deputy Genral Manager
Vindhya Telelinks Ltd.
EPC Division Plot No E-237
Tower Greens, IIIrd Floor, Phase VIII B
Industrial Area, Mohali-160055,
Panjab , India
E Mail-epcmohali@vtlrewa.com

विषयः– ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने के लिए Tubular Pole Fixing हेतु रोड कटिंग की अनुमति के संम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक vtlepc/tel/row/uk/44 दिं0 24 अगस्त 2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 09.02.2021 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई समन्वय समिति की बैठक में नैनीताल भवाली मोटर मार्ग के किमी0 0.000 से 8.430 तक लगभग 240 नं0 Tubular Pole Fixing की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्राप्त हुई है कि विधुत वितरण खण्ड नैनीताल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाय। उपरोक्त क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 488/27 एम0जी0 दिनांक 24.02.2021 द्वारा विधुत वितरण खण्ड नैनीताल को संयुक्त निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लिखा गया था। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता विधुत खण्ड नैनीताल द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर विषयक कार्य हेतु अनापत्ति दी गई है।(संलग्न–1)

अतः नैनीताल भवाली मोटर मार्ग के किमी0 0.000 से 8.430 तक आप्टिकल फाईबर हेतु Tubular Pole Fixing की अनुमति निम्न प्रतिबन्धो के साथ प्रदान की जाती है।

1. निमार्ण कार्य के दौरान यातायात को सुचारू रखने एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/कम्पनी की होगी।
2. भूमि का स्वामित्व प्रा0ख0लो0नि0वि0 नैनीताल का रहेगा।
3. प्रा0ख0लो0नि0वि0 द्वारा मार्ग की चौडाई या अन्य कोई कार्य किये जाने पर पोलों की शिफ्टिंग की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित फर्म/कम्पनी अपने व्यय पर पोल शिफ्टिंग की कार्यवाही करेगी।
4. इस खण्ड द्वारा मार्ग पर किसी प्रकार के कार्य सम्पादन के दौरान Tubular Pole अथवा केबल को किसी प्रकार से क्षति पहुचती है तो विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा, और न ही सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा विभाग द्वारा दिया जायेगा।

5. यदि Tubular Pole Fixing के दौरान किसी प्रकार की दुर्धटना होती है तो इसके लिए सम्बन्धित फर्म/कम्पनी उत्तरदायी होगी।

6. यदि Tubular Pole Fixing के दौरान किसी प्रकार से विभागीय या निजि सम्पत्ति को क्षति पहुॅचती है तो इसके लिए सम्बन्धित फर्म/कम्पनी उत्तरदायी होगी।

7. यह अनापत्ति पत्र उपरोक्त प्रतिबन्धो के अधीन दिया जा रहा है। जिनका अनुपालन न किये जाने की स्थिती में यह अनापत्ति पत्र स्यंम ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार विधुत विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति पत्र की छाया प्रति।

भवदीय

(इं0 दीपक गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल

पत्रांक :– / **दिनॉक :–** / /2021

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– अधिशासी अभियन्ता विधुत खण्ड नैनीताल को उनके द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4– सहायक अभियन्ता द्वितीय प्रा0ख0लो0नि0वि0 नैनीताल को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल